न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक – रीडर/2017/1323 दिनांक 21.6.17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 554/16 अनवान उमेदी बनाम कासम वगैरा में 15.06.17 की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन आवेदन सं. 554/16 अन्तर्गत धारा 251 (ए) Rt Act में निर्णय दिनांक 15.06.2017 को पारित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2017 की पालना करते हुए पालना रिपोर्ट की सूचना 15 दिवस में पेश करे।

सलंग्न – निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन :– 554/16 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

प्रार्थीनी :– 1. उमेदी पत्नि जमील, जाति मुसलमान
निवासी मंगलिया पाड़ा, जानपालिया, तहसील सेड़वा।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. कासम पुत्र सुमार जाति मुसलमान, निवासी मंगलिया पाड़ा
निवासी मंगलिया पाड़ा, जानपालिया, तहसील सेड़वा।
2.शाखा प्रबन्धक बीसीसीबी सेड़वा।

वकील प्रार्थीनी :– **श्री पवन धारीवाल**

विप्रार्थीगण वकील :– **श्री बाबूलाल विश्नोई**

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

दिनांक 15/6/17

प्रार्थीनी उमेदी पत्नि जमील जाति मुसलमान, निवासी मंगलिया पाड़ा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थीनी की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा सं. 780/445 रकबा 37.00 बीघा मौजा मंगलिया पाड़ा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर में स्थित है। प्रार्थीनी द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि उसकी उक्त जोत पर आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा सं. 782/446 रकबा 05.12 बीघा मौजा मंगलिया पाड़ा के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है । अतः प्रार्थीनी को रास्ता दिया जावे।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । विप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। वकील विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश परिशिष्ट "अ" में चाहे गए रास्ते पर असहमति जाहिर करते हुए न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित करने व शेष रास्ता खसरा सं. 781/445 में से प्रस्तावित करने की मंशा जाहिर की। जिसके लिए वकील प्रार्थी भी सहमत हुए। मौके व रेकर्ड की स्थिति अनुसार मौके पर जाकर रास्ता प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत / कोर्ट कैम्प भंवरिया में दिनांक 15.06.17 को पेश हुई। तहसीलदार द्वारा उपरोक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट पेश की गई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व फर्द मौका निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीनी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :-

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में लाल रंग दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीनी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीनी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 13 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीनी को उक्त 13 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीनी को नया तथा 13 फीट चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 15.06.17 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2017 को कोर्ट कैम्प भंवरिया मे सुनाया गया।

(भागीरथराम)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
चौहटन

चुंकि प्रस्तुत आवेदन एवं मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा रास्ते की मांग की गई है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीनी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थीनी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीनी को जिन खसरों से रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा बीघा	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	782/446	05.12	बा.दो.	13	00.01	मंगलिया पाड़ा	कासम वल्द सुमार, कौम मुसलमान, सा.देह खातेदार रहन बीसीसीबी चौहटन
2	781/445	18.10	बा.दो.	13	00.08	मंगलिया पाड़ा	राजकीय भूमि

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट एवं सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीनी द्वारा वर्णित उपरोक्त खसरा के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा इस में लाल रंग से दर्शाया गया 13 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीनी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थीनी द्वारा देय होगी और प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीनी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द मौका एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 13 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीनी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

मौका फर्द

आज दिनांक 09-06-17 को श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन कैम्प लोक अदालत शिविर जानपालिया के आदेश दिनांक 7-6-17 की पालना में राजस्व वाद सं. 554/16 की पालना में ग्राम मंगलिया पाड़ा के प्रार्थी उमेदी पत्नी जमील कौम मुसलमान सा० मंगलिया पाड़ा के ख० नं० 780/445 में आने-जाने हेतु रास्ता ख० नं० 782/446, 781/445 में से धारा 251A के तहत चाहा गया है। इस बाबत मौके पर रुबरु मौतबरान व प्रार्थी को साथ लेकर मौका जाँच करने मौके पर पहुँचा। मौके पर रास्ते हेतु चाही गयी भूमि खाली है। इस भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा व पक्का मकान, टांका बेरा नहीं है। तथा इस चाही गयी भूमि पर कोई कीमती पेड़-पौधा नहीं है। चाही गयी भूमि ख० 782/446 रकबा 5.12 बीघा खातेदारी भूमि है। तथा ख० नं० 781/445 रकबा 18.10 बीघा भूमि, राजकीय भूमि है। उपरोक्त चाहे गये रास्ते के अलावा प्रार्थी के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। विप्रार्थी को सूचना दी गयी विप्रार्थी अनुपस्थित रहा। रास्ते के लिए चाही गयी भूमि नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शायी गयी है।

क्रम संख्या	खातेदार का नाम मय पता	खसरा संख्या	खसरे का कुल रकबा	रास्ते की चौड़ाई फीटों में	रास्ते में समाविष्ट रकबा (बीघा)	डी.एल.सी. दर प्रति बीघा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
01.	कासम वल्द सुमार कौम मुसलमान सा. डेह खातेदार रहन BCCB शाखा सेड़वा	782/446	5.12	13	0.01	30300X2=60600	3030 रुपये	बा० दो०
02.	राजकीय भूमि	781/445	18.10	13	0.08	30300X2=60600	24240 रुपये	बा० दो०

मौका फर्द रुबरु मौतबरान तैयार की जाकर पढ़कर सुनायी। हस्ताक्षर व अंगुष्ठ करवाये गये।

Ex Court

(हस्ताक्षर) 09/06/17
पटवारी जानपालिया

उमेदी
(प० जमील)
प्रार्थी

सुमार
(प० डीनू)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

मुरादखां
(पु० जमील)

इस्लामदीन
पु० जमील

N

S

नक्शा ट्रेस (आंशिक)
ग्राम मंगलिया पाड़ा
तह. सेड़वा
पैमाना: 1 इंच=80 गट्ठा

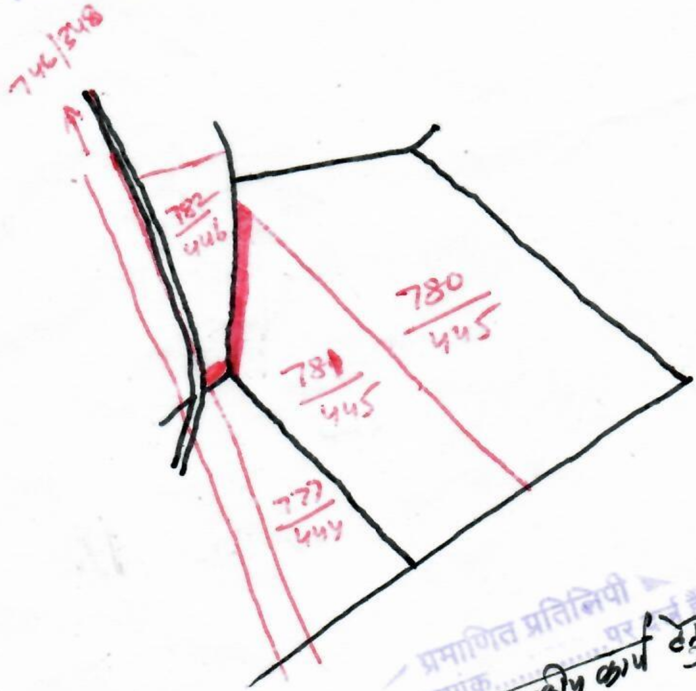

रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि
रंग = लाल

प्रमाणित प्रतिलिपी
P 35 क्रमांक......पर दर्ज है।
राजकीय कार्य हेतु नि:शुल्क जारी

09/06/17
पटवारी ....

Ex Court

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

(क०जमील)
(गवाह)

(क०जमील)

(क०जमील)

(क०जमील)